राजस्थान सरकार
कार्मिक (ग) विभाग

क्रमांकः प.14(1) कार्मिक/ग–2/2019 जयपुर, दिनांकः **15.09.2021**

परिपत्र

विषय :– कार्मिको की उपस्थिति पत्रक (वेतन चिट्ठा) प्रत्येक माह की 8 तारीख तक भिजवाने बाबत्।

वित्त विभाग के आदेश की अनुपालना में माह जुलाई, 2021 से पे मैनेजर के माध्यम से ऑटो प्रोसेस द्वारा वेतन आहरण प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें प्रत्येक माह की 15 तारीख को पे मैनेजर पर स्वतः वेतन बिल प्रोसेस हो जाते है।

वेतन आहरण प्रक्रिया नियत समय पर पूर्ण करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि अराजपत्रित कार्मिकों के वेतन चिट्ठे (उपस्थिति पत्रक) सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रत्येक माह की **8 तारीख** तक कार्मिक (ग) विभाग (लेखा शाखा) को प्राप्त हो जावें।

अतः शासन सचिवालय के समस्त विभागों/ अनुभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि अराजपत्रित कार्मिकों का वेतन–चिट्ठा प्रत्येक माह की 08 तारीख तक आवश्यक रूप से लेखा शाखा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यथासमय वेतन–चिट्ठा नहीं भिजवाए जाने पर वेतन आहरण में विलम्ब के लिए इस विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा। वेतन चिट्ठे में चिट्ठा संख्या एवं प्रत्येक कार्मिक के नाम के साथ मोबाइल नम्बर भी अंकित करने का श्रम करें।

sd/-
वित्तीय सलाहकार

समस्त विभाग/अनुभाग
शासन सचिवालय

प्रतिलिपिः–

1. सिस्टम एनालिस्ट, कार्मिक विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
2. नोटिस बोर्ड।

वित्तीय सलाहकार